5

विभिन्न भत्ते मकान किराया / कोयला / धुलाई / वर्दी / संतान शिक्षा / परिवार कल्याण / अन्य भत्ते / पर्वतीय विकास यात्रा

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	प्रदेश के नगरों / नगरीय क्षेत्रों के मकान किराये भत्ते की श्रेणी / भत्ते में पुनरीक्षण	सं0 132 / वि0अनु0–3 / 2001, देहरादून, दिनांक–18 दिसम्बर, 2001	143–146
2	कुमायुँ तथा गढ़वाल प्रभागों और देहरादून जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को लकड़ी का कोयला / पत्थर का कोयला (साफ्ट) को देना	सं0 810 / वि0अनु03 / 2003, देहरादून, दिनांक–20 फरवरी, 2003	147–148
3	उत्तरांचल क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता	सं0 692 / वि0अनु0–3 / 2002, देहरादून, दिनांक–11 फरवरी, 2003	149–150
4	प्रदेश के नगरों / नगरीय क्षेत्रों में मकान किराया भत्ते की श्रेणी भत्ते में पुनरीक्षण	सं0 916 / वि0अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनांक–05 जून, 2003	151–152
5	वेतन समिति, 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते की श्रेणी में पुनरीक्षण	सं0 642 / XXVII(3)म0कि0 / 2004, देहरादून, दिनांक–08 सितम्बर, 2004	153–154
6	उत्तरांचल सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों की धुलाई भत्तों की दरों में पुनरीक्षण	सं0 245 / XXVII(3)व0म0 / 2005, देहरादून, दिनांक–07 जून, 2005	155–156
7	नैनीताल से विकास भवन, भीमताल में स्थानान्तरित विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अनुमन्यता	सं0 369 / XX-V-II(3) / 2005, देहरादून, दिनांक–23 अगस्त, 2005	157–158
8	नैनीताल से विकास भवन, भीमताल में स्थानान्तरित विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता	सं0 475 / XXVII(3) / 2005, देहरादून, दिनांक–04 अक्टूबर, 2005	159–160
9	प्रदेश से बाहर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में मंहगाई वेतन की देयता के विषय में निर्देश	सं0–01 / XXVII(7)म0कि0 / 2006, देहरादून, दिनांक–04 अप्रैल, 2006	161–162
10	सरकारी सेवकों को देय वर्दी आदि की सुविधाओं हेतु प्रथम वरीयता पर भुगतान	सं0 1739 / XXVII(1) / 2006, देहरादून, दिनांक–15 दिसम्बर, 2006	163–164

11	राज्य के वाहन चालकों को 15 दिन के स्थान पर एक माह के मूल वेतन के बराबर प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में	सं0 227 / XXXVI(2)2007, देहरादून, दिनांक–22 अगस्त, 2007	165–166
12	बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के कार्मिकों को विशेष भत्ता अनुमन्य कराया जाना	सं0 285 / XXXVI(7)तृ0वै0वि0म0 / 2007, देहरादून, दिनांक–20 सितम्बर, 2007	167–168
13	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडिट के अधीन कार्यरत सहायक लेखा परीक्षाधिकारी / ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक के प्रतिमाह प्रासांगिक व्यय की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में	सं0 20 / XXVII(7)आठवीं बै0वि0वि0 / 2007, देहरादून, दिनांक 10 जनवरी, 2008	169–170
14	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय कार्मिकों को विशेष भत्ता इलेक्ट्रीशियन के वेतनमान तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जनपदीय न्यायालयों के कर्मचारियों को कतिपय लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में	सं0 293 / XXVII(7)12वींबै0उ0न्या0 / 2008, देहरादून, दिनांक 12 सितम्बर, 2008	171–172
15	वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन	सं0 38 / XXVII(7)म0कि0 / 2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	173–176
16	वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन	सं0 39 / XXVII(7) / प0वि0म0 / 2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	177–180
17	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था	सं0 40 / XXVII(7) / स्वै0परि0क0 / 2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	181–182
18	सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को विशेष भत्ता	सं0–43 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	183–184
19	वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन का शुद्धि पत्र	सं0 61 / XXVII(7) / म0कि0 / 2009, देहरादून, दिनांक–16 फरवरी, 2009	185–186
20	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार / राज्य सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता	सं0 79 / XXVII(7) / म0कि0 / 2009, देहरादून, दिनांक–01 मार्च, 2009	187–192
21	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार के समान 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' लागू किया जाना	सं0 192 / XXVII(7) / स0मि0म0 / 2009, देहरादून, दिनांक–09 जुलाई, 2009	193–194
22	उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त होने के फलस्वरूप भारत सरकार की भांति परिवहन भत्ता की अनुमन्य किये जाने	सं0 399 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–24 दिसम्बर, 2009	195–196

23	उत्तराखण्ड वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्त की दरों का पुनरीक्षण	सं0 395 / XXVII(7) / 2009 देहरादून, दिनांक–24 दिसम्बर, 2009	197–198
24	राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों को तथा द्विभाषी आशुलिपिकों / वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना	सं0 394 / XXVII(7) / 2009 देहरादून, दिनांक–24 दिसम्बर, 2009	199–200
25	कोषागारों में कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को देय विशेष कम्प्यूटर भत्ते का पुनरीक्षण	सं0 393 / XXVII(7) / 2009 देहरादून, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009	201–202
26	सरकारी कर्मचारियों को लकड़ी का कोयला / पत्थर का कोयला (साफ्ट कोक) की अनुमन्यता को समाप्त किया जाना	सं0 515 / XXVII(7) / 2010 देहरादून, दिनांक 08 अप्रैल, 2010	203–204
27	महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता समाप्त किया जाना	सं0 514 / XXVII(7) / 2010, देहरादून, दिनांक–08 अप्रैल, 2010	205–206

संख्या 132/वित्त अनु0-3/2001

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2001

विषय– प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रो के मकान किराये भत्ते की श्रेणी/भत्ते में पुनरीक्षण।

महोदय,

वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या –जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून,1999 में इंगित तालिकाओं के अनुसार नगरों/नगरीय क्षेत्रों को "ए" "बी–1","बी–2", "सी" एवं अवर्गीकृत श्रेणी में विभाजित करते हुए वहॉं कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जो अधिष्ठान आय–व्ययक से दिनांक 1 जनवरी ,1999 से लागू नवीन वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे है, को विभिन्न सीमाओं में संशोधित मकान किराया भत्ता दिनांक 1 जून, 1999 से अनुमन्य कराया गया है । इसी के कम में वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के शासनादेश सख्या–जी–1–889/दस–99–205–99 दिनांक 6 दिसम्बर,1999 के द्वारा कतिपय शहरों के मकान किराये भत्ते की श्रेणी में भी परिवर्तन किया गया है ।

2– इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त देहरादून को "सी" श्रेणी से " बी–2 "श्रेणी में एवं गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत तथा रूद्रप्रयाग शहरों के जिला मुख्यालय हो जाने के कारण "अवर्गीकृत "श्रेणी से "सी" श्रेणी में उच्चीकृत करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून, 1999 में इंगित मकान किराया भत्ता की संशोधित दरें निम्न तालिका के अनुसार अनुमन्य करने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका

कम सं0	वेतन सीमा (रू0)	श्रेणी–बी–2 के नगरो में	श्रेणी–सी के नगरो में	अवर्गीकृत नगरीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1–	2550–3049	380	190	125
2–	3050–3799	455	230	150
3–	3800–4549	570	285	190
4–	4550–5299	680	340	225
5–	5300–6049	795	395	265
6–	6050–6799	905	455	300
7–	6800–7549	1020	510	340
8–	7550–8299	1130	565	375
9–	8300–9049	1245	620	415
10–	9050–9799	1355	680	450
11–	9800–10799	1470	735	490

1	2	3	4	5
12–	10800–11799	1620	810	540
13–	11800–12799	1770	885	590
14–	12800–13799	1920	960	640
15–	13800–14799	2070	1035	690
16–	14800–15799	2220	1110	740
17–	15800–16799	2370	1185	790
18–	16800–17799	2520	1260	840
19–	17800–18799	2670	1335	890
20–	18800–19799	2820	1410	940
21–	19800–21299	2970	1485	990
22–	21300–22799	3195	1595	1065
23–	22800–24299	3420	1710	1140
24–	24300–25799	3645	1820	1215
25–	25800 तथा अधिक	3870	1935	1290

श्रेणी बी–2,"सी" तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरो/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
"बी– 2 "	देहरादून (शहरी क्षेत्र)
"सी"	हरिद्वार (शहरी क्षेत्र), काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी– "कम"–"काठगोदाम" रूडकी (शहरी क्षेत्र) अल्मोडा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मंसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ, टिहरी, पौडी गढवाल (शहरी क्षेत्रों), गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग ।
"अवर्गीकृत"	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र

3– वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 ,भाग–4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है । ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होने दिनांक 1–1–96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिये विकल्प दिया हो, उनके लिये वेतन का तात्पर्य तदविषयक मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता, तथा वेतन का 10 प्रतिशत जैसा कि पूर्व के वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश में परिभाषित है, होगा ।

4– सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों (जिला पंचायतों/जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों सहित) सार्वजनिक उपकमों/निगमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मकान किराया भत्ता की उपरोक्त दरे स्वतः लागू नही होगीं । उनके सम्बन्ध में उपरोक्त दरें मार्गदर्शी है । सम्बन्धित संस्थायें अपनी वित्तीय स्थिति एवं भुगतान क्षमता को देखते हुए निर्णय लेने में सक्षम है । इन संस्थाओं को संशोधित दरों के अधीन रहते हुए इस बात की स्वतंत्रता होगी कि संशोधित दरें किस तिथि से लागू की जाये ।

5– अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका के अनुसार ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा ।

6– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो राज्य के बाहर नियुक्त हैं, को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो।

7– संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है । यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते है अथवा अपने निजी आवास में निवास करते है ।

8– उपरोक्त आदेश दिनांक 1–1–2002 से प्रभावी होगें ।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त।

संख्या 132 (1)/वि0 अनु0–3/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, 5–ए थॉन हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन इलाहाबाद।
2– विधान सभा, सचिवालय ।
3– राज्यपाल ,सचिवालय ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
5– निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी,नैनीताल/निदेशक,माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल देहरादून ।
6– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल, कैम्प कार्यालय सुद्दोवाला, देहरादून ।
7– समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
8– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 सा0 वित्त/934–03–01–2002–1,000 (कम्प्यूटर/रिजियो)।

संख्या: 810 / वि0अनु03/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल शासन ।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2003

विषय:- कुमायूं तथा गढवाल प्रभागों और देहरादून जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को लकडी का कोयला/पत्थर का कोयला/साफ्टको देना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-31/7/1968-नियुक्ति, दिनांक- के द्वारा जाड़ें के महीनों मे कुमायूं/गढवाल प्रभागों एंव देहरादून जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों मे कार्यदिवसों मे इस्तेमाल करने हेतु अनुमन्यता एंव उंचाई के आधार पर विभिन्न अवधियों हेतु लकडी/पत्थर का कोयला दिए जाने की स्वीकृति दी गई है ।

उक्त शासनादेशों के द्वारा की गई व्यवस्था को सुस्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सुविधा केवल कार्यालयों मे कार्यदिवसों मे लकडी/पत्थरका कोयला इस्तेमाल करने के लिए दी गई है तथा लकडी एंव पत्थर के कोयले के लिए किसी भी दशा में धनराशि नकद दिए जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अत: कृपया यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयों मे कार्य-दिवसों मे कोयले के इस्तेमाल करने हेतु धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों को किसी भी दशा में नकद रूप से स्वीकृत न किए जायें, तथा उपर्युक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप अनुमन्य धनराशि से कोयला खरीद कर उसका कार्यालयों मे इस्तेमाल सुनिश्चित किया जायें। इस धनराशि का मानक मद "कार्यालय व्यय" मे वहन किया जायेगा।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या: 810 /वि0अनु03/2003/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा,
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।

आज्ञा से

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या- 692 /वि0अनु0-3/2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 11 फरवरी, 2003

विषयः- उत्तरांचल क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1161/28-4-2000-2(14)/91 दिनांक 31 मई, 2000 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल क्षेत्र के समस्त जनपदों में तैनात समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित वेतन स्लैब के समक्ष इंगित दर पर पर्वतीय विकास भत्ता दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वेतन स्लैब	पर्वतीय विकास भत्ता की दर (रूपये प्रतिमाह)	
	पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
1	2	3
3000 से कम	90	50
3000 से 4499	125	70
4500 से 5999	215	125
6000 तथा अधिक	270	160

2- वेतन का तात्पर्य उस मूल वेतन से होगा जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-9 (21) (1) में परिभाषित है।

3- उक्त भत्ता हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :-

(1) पर्वतीय क्षेत्र :

जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, एवं रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल के 1500 मीटर तथा अधिक ऊँचाई के क्षेत्र।

(2) मैदानी क्षेत्र :

जनपद ऊधमसिंहनगर एवं जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के 1500 फीट से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र।

4- उत्तरांचल राज्य में कार्यरत् समस्त पूर्णकालिक राज्य-कर्मियों को पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के उक्तानुसार पुनरीक्षित वर्गीकरण के फलस्वरूप देय पर्वतीय भत्ते का भुगतान दिनांक 01 मार्च, 2003 से किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त।

पृष्ठांकन संख्या- 692 /वि0अनु0-3/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. श्री राज्यपाल महोदय के सचिव।
5. रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उत्तरांचल।
6. समस्त सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. डायरेक्टर ऑफ एकाउन्ट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के.सी. मिश्रा)
अपर सचिव, वित्त।

पृष्ठांकन संख्या- 692/वि0अनु0-3/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :-

शिक्षा अनुभाग/पंचायतीराज अनुभाग/नगर विकास अनुभाग को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे शिक्षा संस्थानों/जिला परिषदों/स्वायत्तशासी निकायों में नियुक्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार आवश्यक आदेश वित्त-विभाग की सहमति से प्रसारित करने हेतु।

आज्ञा से,

(के.सी. मिश्रा)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 916 / वि0 अनु0–3 / 2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3

देहरादूनः दिनाँक 5 जून, 2003

विषय– प्रदेश के नगरों / नगरीय क्षेत्र में मकान किराया भत्ते की श्रेणी में पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 132 / वि0 अनु0–3 / 2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नैनीताल के शहरी क्षेत्र तथा पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र में क्रमशः आयुक्त, कुमायूँ मण्डल एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के कार्यालय अर्थात मंडलीय मुख्यालय स्थापित होने के परिणाम स्वरूप राज्यपाल महोदय इन नगरों को बी–2 श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के वर्गीकरण का प्रस्तर–2 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं इसकी अन्य समस्त शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

3. उक्त पुनरीक्षित वर्गीकरण दिनांक 1 जुलाई, 2003 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे),
प्रमुख, सचिव।

संख्या 916(1) वि0 अनु0–3 / 2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. विधान सभा सचिवालय।
3. राज्यपाल सचिवालय।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी / निदेशक, मा0 एवं बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल, दे0दून।
6. निदेशक, प्रावैधिक शिक्षा, उत्तरांचल, कैम्प कार्यालय सुद्धोवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, को इसकी 500 प्रति मुद्रित करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0सी0 मिश्र
अपर सचिव।

संख्या 642 / XXVII(3)म.कि / 2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त
उत्तरांचल,शासन ।

सेवामें,

1. शिक्षा निदेशक,
   उच्च, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा
   उत्तरांचल,देहरादून ।
2. निदेशक,
   प्राविधिक शिक्षा,
   कैम्प कार्यालय सुद्धोवाला,
   देहरादून ।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 9 सितम्बर, 2004

विषयः–वेतन समिति,1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते की श्रेणी में पुनरीक्षण ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 132 / वि0 अनु0–3 / 2001,दिनांक18 दिसम्बर,,2001 के क्रम में शासनादेश सं0 916 / वि0अनु0–3 / 2003 दिनांक 5 जून, 2003 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र के नगरों का मकान किराये भत्ते हेतु बी–2 श्रेणी मे वर्गीकृत किया गया है।

2.अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता विषयक शासनादेश संख्या 388 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 13 जून, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्रों में क्रमशः आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्ड़ल के कार्यालय अर्थात मण्ड़लीय मुख्यालय स्थापित होने के फलस्वरूप उक्त श्रेणी के इन शहरों में कार्य करने वाले कर्मियों को भी मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता बी–2 श्रेणी के नगरों के अनुरूप स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3.उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के क्रम निर्गत शासनादेश दिनांक 13 जून,2002 का वर्गीकरण केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय और इसकी अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

भवदीय

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त

संख्या 642-XXVII(3)म.कि./2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल, ओवेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2– सचिव,शिक्षा,उत्तरांचल शासन ।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4– राज्यपाल सचिवालय ।
5– विधान सभा सचिवालय ।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
7– निदेशक, एन0आई0सी0,देहरादून ।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

सख्या 245/XXVII(3)व.भ./2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनु–3 देहरादून:दिनांक 7 जून,2005

विषयः–उत्तरांचल सचिवाल से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकोंकी धुलाई भत्तों की दरों में पुनरीक्षण ।

महोदय,

वेतन समिति(1997–99)की संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के लघु उद्योग अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 1501/18–5–2002–2(जी0–1)/85 दिनांक 5 अक्टूबर,2002 के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 2293 एल0/18–7–93–25(जी0–1)/93, दिनांक 27 नवम्बर,1993 एवं शासनादेश संख्या:313/18–7–95–25 (जी0–1)/95,दिनांक 28 फरवरी,1992 को आंशिक रूप से संशोधित/अतिक्रमित करते हुए उत्तरांचल सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ रेणी कर्मचारियों एवं राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी धुलाई भत्ता निम्नानुसार/पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उत्तरांचल सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय धुलाई भत्ता रू0 12.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 20.00 प्रतिमाह के प्रतिमाह देय होगा ।
2. राजकीय वाहन चालकों को देय धुलाई भत्ता रू0 20.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 30.00 प्रतिमाह देय होगा ।
3. मौलिक रूप से नियुक्त एवं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए समस्त जमादार, अर्दली,पत्रवाहक,कार्यालय चपरासी,राजपत्रित अधिकारी से सम्बद्ध चपरासी तथा राजकीय वाहन चालकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य होगा ।
4. ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्दी के विषय में उद्योग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:3525/सात/2004/17उद्योग/04 दिनांक 10 जनवरी,2005 में उ0प्र0 शासन के लघु उद्योग अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 5 अक्टूबर,2002 के अनुसार आवश्यक संशोधन उद्योग अनुभाग द्वारा पृथक से निर्गत किया जायेगा ।
5. उक्त व्यवस्था दिनांक 5 अक्टूबर,2002 अर्थात उत्तर प्रदेश में उक्त भत्ते की दरों में पुनरीक्षण की तिथि से ही लागू होगी ।

भवदीय

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या 245 xxvii(3)व.भ./2005 तद्दिनांक 07/07/2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तरांचल,देहरादून ।
3. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल,मा0उच्च न्यायालय,नैनीताल ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी,समस्त जनपद,उत्तरांचल ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(आर0सी0शर्मा)
संयुक्त सचिव

संख्या 369 /XX-V-II(3) 2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 23 अगस्त,2005

विषयः नैनीताल से विकास भवन, भीमताल मे स्थानान्तरित विभागों के अधिकारियो /कर्मचारियो को मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –826–एफ/एक/स्था0 / 2004– 2005 दिनाक 8 नवम्बर, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास भवन ,नैनीताल में स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों के विकास भवन, भीमताल में स्थानान्तरित हो जाने के फस्वरुप भीमताल में कार्यरत ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नैनीताल शहर का बी–2 श्रेणी का मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं हो रहा है। अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय स्थानान्तरण के फलस्वरुप विकास भवन भीमताल में कार्यरत परन्तु नैनीताल में ही निवास कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 31मार्च, 2007 अथवा भीमताल में इन्हे सरकारी आवास उपलब्ध हो जाने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये ही ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों को नैनीताल शहर की भांति बी–2 श्रेणी का मकान किराया भत्ता अनुमन्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त अवधि के पश्चात उक्त सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या 369, XXVII(3)/2005 तद्दिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

demi official letter

1– महालेखाकार,उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स विल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– आयुक्त,कुमायूं मण्डल,नैनीताल।
3– जिला विकास अधिकारी, नैनीताल।
4– स्टाफ आफीसर ,अपर मुख्य सचिव।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
6– संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे इसकी 100 प्रतियां मुद्रित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.)सचिवालय।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या– 475 / XXVII(3) / 2005
देहरादून : दिनांक 04 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप / शुद्धिपत्र

शासनादेश संख्या 369/ XXVII(3)/2005, दिनांक 23 अगस्त, 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि "**स्थानान्तरण के फलस्वरूप विकास भवन भीमताल में कार्यरत परन्तु नैनीताल में ही निवास कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 31 मार्च, 2007 तक अथवा भीमताल में इन्हें सरकारी आवास उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नैनीताल शहर की भॉति बी–2 श्रेणी का मकान किराया भत्ता अनुमन्य.....।**" के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाय :–

"**स्थानान्तरण के फलस्वरूप विकास भवन भीमताल में कार्यरत वे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो पूर्व में विकास भवन नैनीताल में कार्यरत थे, को 31 मार्च, 2007 अथवा भीमताल में इन्हें सरकारी आवास उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए ही ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नैनीताल शहर की भॉति बी–2 श्रेणी का मकान किराया भत्ता अनुमन्य.....।**"

उक्त विषयक दिनांक 23 अगस्त, 2005 का आदेश उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,
/
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या– 475 (1)/ XXVII(3)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3– जिला विकास अधिकारी, नैनीताल।
4– स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल।
6– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे इसकी 100 प्रतियां मुद्रित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), सचिवालय।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)07
संख्याः 01 / XXVii(7)म.कि. / 2006
देहरादूनःदिनांकः 4 अप्रैल06

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–प्रदेश से बाहर कार्यरत राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते में महँगाई वेतन की देयता के विषय में निर्देश ।

कार्यालय ज्ञाप संख्याः1267 / XXVii(3)म.पे0. / 2004दिनांकः 9 जून,2004 के द्वारा उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किये जाने के फलस्वरूप उक्त विलयित महँगाई भत्ते(महँगाई वेतन) को सेवानैवृत्तिक लाभ, जी0पी0एफ0 अशंदान एवं विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए आगणित किये जाने की व्यवस्था करते हुए परन्तु इसे एल0टी0सी0,यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण के समय देय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता,मकान किराया भत्ते को मूल वेतन को ही आधार मानकर देने के निर्देश निर्गत किये गये थे ।

2.मकान किराये भत्ते की संशोधित दरों के विषय में शासनादेश संख्याः132 / वि0अनु0–3 / 2001 दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर–6 में यह व्यवस्था है कि ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों, जो राज्य के बाहर नियुक्त हैं, को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा,जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो ।

3.प्रदेश से बाहर कार्यरत उत्तरांचल सरकार के राज्य कर्मचारियों के देय मकान किराया भत्ते की दर के निर्धारण के विषय में प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय एवं उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर–6 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 9 जून,2004 के क्रम में अधोस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के बाहर नियुक्त राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों को मकान किराया भत्ता के आगणन हेतु 50 प्रतिशत महँगाई वेतन को वेतन में जोड़कर उस नगर में भारत सरकार के कर्मचारियों को जिस दर से मकान किराया भत्ता देय हो उसी दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

4.उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांकः9 जून,2004 के मकान किराया भत्ते विषयक प्राविधान केवल प्रदेश से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के लिए उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जॉय ।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्याः 01 /XXVii(7)म.कि./2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून ।
2. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।
3. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।
5. मुख्य स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली ।
6. सचिव,सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन,उत्तरांचल ।
7. भुगतान एवं लेखा कार्यालय,उत्तरांचल निवास,नई दिल्ली ।
8. इरला चेक अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।
9. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 1739/XXVII(1)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव, वित्त,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तरांचल।

वित्त अनु0–1

देहरादूनः दिनाँक 15 दिसम्बर, 2006

विषय– सरकारी सेवकों को देय वर्दी आदि की सुविधाओं हेतु प्रथम वरीयता पर भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 986 वि0अनु0–1/2004, दिनांक 30 अक्टूबर, 2004 द्वारा यह निर्देश दिए गये थे कि विभागीय बजट के अन्तर्गत मानक मद "08–कार्यालय व्यय" में उपलब्ध बजट व्यवस्था से भुगतान की प्रथम वरीयता सरकारी सेवकों की वर्दी आदि के लिए होगी। शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विभागों द्वारा इन आदेशों का अनुपालन न किए जाने के कारण सरकारी सेवकों को वर्दी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय व्यय में उपलब्ध बजट व्यवस्था से प्रथम भुगतान की वरीयता सरकारी सेवकों की वर्दी के लिए सुनिश्चित की जाय। यदि इसके लिए अतिरिक्त बजट व्यवस्था की आवश्यकता हो तो आय–व्ययक के अनुमान प्रेषित करते समय तद्नुसार समय पर यथावश्यक प्राविधान भी करा लिया जाय। कार्यालय व्यय की मद में पुनर्विनियोग से धनराशि स्वीकृति के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जायेगा जब सम्बन्धित विभागाध्यक्ष इस तथ्य की पुष्टि करेंगे कि उपलब्ध बजट व्यवस्था से वर्दी आदि के लिए धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

राधा रतूड़ी

सचिव।

संख्या 1739 / XXVII(1) / 2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।

2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।

3– समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, उत्तरांचल।

4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह
अपर सचिव।

संख्या 227/XXXVI(2) 2007

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनाँक 22 अगस्त, 2007

विषय– राज्य के वाहन चालकों को 15 दिन के स्थान पर एक माह के मूल वेतन के बराबर प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों के वाहन चालकों के मानदेय के संशोधन के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"इस विषय में विद्यमान पूर्व निर्णय में संशोधन करते हुए प्रदेश शासन के सभी अन्य वाहन चालकों को भी तात्कालिक प्रभाव से 15 दिन के स्थान पर राज्य सम्पत्ति विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग के वाहन चालकों के समान एक माह के मूल वेतन के बराबर प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य करायी जाय।"

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 285 / XXXVI(7) तृ0वै0 वि0भ0 / 2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,

बजट, राजकोषीय नियोजन एवं

संसाधन निदेशालय,

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनाँक 20 सितम्बर, 2007

विषय– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के कार्मिकों को विशेष भत्ता अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन् विसंगति समिति के द्वारा बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के कार्मिकों को विशेष भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् संस्तुति की गई है:–

"प्रकरण समिति द्वारा विचार किया गया कि यदि बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में सचिवालय संवर्ग के कोई अधिकारी / कर्मचारी नियुक्त होते हैं अथवा उत्तर प्रदेश से कोई ऐसे अधिकारी / कर्मचारी नियुक्त हैं जिन्हें पूर्व से विशेष भत्ता अनुमन्य था, को ही विशेष भत्ता अनुमन्य कराया जाय। जो कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा निदेशालय उद्देश्यों के लिए उस पद के अनुरूप पद के वेतनमान में नियुक्त होते हैं, उन्हें अलग से किसी भत्ते को दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।"

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

राधा रतूड़ी

सचिव, वित्त।

संख्याः 20 /xxvii(7)आठवीं बै0वि.वि./2007

प्रेषक,

टी0एन0सिंह,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 10 जनवरी,2008

विषयः–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट के अधीन कार्यरत सहायक लेखा परीक्षाधिकारी/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक के प्रतिमाह प्रासांगिक व्यय की दरों में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख प्रस्तुत तथ्य कि वित्त विभाग के अधीन कार्यरत सहायक लेखा परीक्षाधिकारी/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक को दिनांकः 3–2–1988 में रू0 2000 प्रतिमाह उनके द्वारा स्वयं का स्टेशनरी आदि प्रयोग करने के कारण रू0 20.00 प्रतिमाह नियत प्रासांगिक व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकृति किया गया था । उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 06 सितम्बर,2004 से उक्त धनराशि रू0 20.00 से संशोधित कर रू0 75.00 कर दिया गया है।

अतः वर्तमान मूल्य सूचकांक तथा लम्बे अन्तराल को दृष्टि में रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा **दिनांक 1–4–2007 से रू0 75.00 प्रतिमाह संशोधित किये जाने की** संस्तुति की गयी है ।

2. कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या 293/XXVII(7)12वीं बै0 उ0न्या0/2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
न्याय,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून: दिनांक 12 सितम्बर, 2008

विषयः–उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के कर्मियों को विशेष भत्ता, इलेक्ट्रीशियन के वेतनमान तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जनपदीय न्यायालय के कर्मचारियों को कतिपय लाभ दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि:–

(क) पूर्ववर्ती राज्य के द्वारा दिनांक 1–2–2004 से उन के आदेश दिनांक 15–3–89 से लागू अनुभाग अधिकारी तथा इसके समकक्ष वेतनमानों के अधिकारियों, अनुभाग अधिकारी के वेतनमान से भिन्न परन्तु समीक्षा अधिकारी से उच्च वेतनमान वाले अधिकारी/कर्मचारी, समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के कर्मचारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान से भिन्न, टंकक/नैत्यिक लिपिक तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पदधारक तथा टंकक तथा नैत्यिक लिपिक से भिन्न पदधारकों को विशेष भत्ता क्रमशः 140 के स्थान पर रू 280, 100 के स्थान पर 200, 90 के स्थान पर 180, 60 के स्थान पर 120, 45 के स्थान पर 90, 30 के स्थान पर 60 किया गया । चूँकि कतिपय कर्मचारी पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के इलाहाबाद के उच्च न्यायालय से आये हैं अतः दिनांक 15–3–89 से लागू विशेष भत्ते को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के संबंधित संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 1–2–2004 से विशेष भत्ता संशोधित किया जाये ।

समिति ने समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद उचित पाया कि उक्त भत्ते 1989 से संशोधित नहीं किये गये हैं अतः उत्तराखण्ड में दिनांक 1–2–2004 उपरोक्तानुसार भत्ते संशोधित किये जा सकते हैं ।

(ख)वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इलैक्ट्रीशियन के वेतनमान में संशोधन करने का प्रस्ताव इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि उ0प्र0 में नियुक्त ऐसे इलैक्ट्रीशियन जो हाईस्कूल की शैक्षिक अर्हता के साथ–साथ राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय प्रमाण–पत्र की योग्यता रखता है, उनके वेतनमान को दिनांक 10–12–2004 से संशोधित किया गया है।

समिति ने समस्त तथ्यों पर विचार करने पर यह संस्तुति की है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में जो इलैक्ट्रीशियन उक्त अर्हता रखते हैं उन्हें दिनांक 10–12–2004 से संशोधित वेतनमान दे दिया जाये तथा नियमावली में उक्तानुसार संशोधन किया जाये यह वेतनमान अनर्ह कार्मिक पर लागू नहीं होगा

(ग)विभाग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जनपदीय न्यायालयों के कतिपय पदधारकों को दिये जाने वाली सुविधा के प्रकरणों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वेतन विसंगति समिति द्वारा, समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद यह पाया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में महानिबंधक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय एवं शासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक दिनांक 25–2–2008 में कतिपय निर्णय लिया गया है । इस पर वेतन विसंगति समिति की अलग से टिप्पणी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

संख्याः 38/xxvii(7)म0कि0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः13फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः132/वि0अनु0–3/2001 दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के द्वारा प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था, शासनादेश संख्याः 444/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 13 जून,2002 के द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों की अनुमन्यता एवं शासनादेश संख्याः 916/वि0अनु0–3/2003 दिनांक 5 जून,2003 के द्वारा नैनीताल के शहरी क्षेत्र एवं पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र में कमशः आयुक्त कुमायूँ मण्डल एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल के कार्यालय अर्थात मण्डलीय मुख्यालय स्थापित होने के फलस्वरूप इन नगरों को"बी–2" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

2–वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/ 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के समतुल्य अनुमन्य ग्रेड–पे के आधार पर "बी- 2" श्रेणी हेतु ग्रेड–पे का 75 प्रतिशत,"सी" श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालयों को 50 प्रतिशत तथा

समस्त "अवर्गीकृत क्षेत्रों" को 40 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0स0	ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" देहरादून,पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, हरिद्वार,(शहरी क्षेत्र)काशीपुर, रूद्रपुर,हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की(शहरी) अल्मोड़ा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मसूरी, पिथौरागढ़, टिहरी,पौडी गढ़वाल(शहरी क्षेत्र), गोपेश्वर(चमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्वावत, रूद्रप्रयाग।	"अवर्गीकृत श्रेणी" उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1.	1300	975	650	520
2.	1400	1050	525	560
3.	1650	1238	825	660
4.	1800	1350	900	720
5.	1900	1425	950	760
6.	2000	1500	1000	800
7.	2400	1800	1200	960
8.	2800	2100	1400	1120
9.	4200	3150	2100	1660
10.	4600	3450	2300	1840
11.	4800	3600	2200	1920
12.	5400	4050	2700	2160
13.	6600	4950	3300	2640
14.	7600	5700	3800	3040
15.	8700	6525	4350	3480
16.	8900	6675	4450	3560
17.	10,000	7500	5000	4000
18.	12,000	9000	6000	4800

3–ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4–अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5–ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है ।

6–संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है । यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते है। अथवा अपनी निजी आवास में निवास करते हैं ।

7–ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0 टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:132/वि0अनु0–3/2001 दिनांक:18 दिसम्बर,2001एवं संख्या:444/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 13 जून,2002 की उक्त दरों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

8–यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

9–अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 38 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 39/xxvii(7)प0वि0भ0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 13फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः692/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 11 फरवरी,2003 के द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में तैनात पूर्ण कालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन स्लैब के आधार पर पर्वतीय विकास भत्ता एवं शासनादेश सं0–1164/28–4– 2000– 2(4)/91 दिनांक 31 जून,2000 के द्वारा सीमान्त विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया था।

2–वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य कराये जाने तथा सम्प्रति सीमान्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य सीमान्त विशेष भत्ता

समाप्त करने तथा उसके स्थान पर उक्तानुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0स0	ग्रेड वेतन/वेतनमान (रू0)	पर्वतीय विकास भत्ते की संशोधित दर
1.	1300	150
2.	1400	150
3.	1650	165
4.	1800	180
5.	1900	190
6.	2000	200
7.	2400	240
8.	2800	280
9.	4200	420
10.	4600	460
11.	4800	480
12.	5400 या इससे अधिक	540

3–ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4–अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5–एक हजार मीटर से कम उँचाई वाले क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता देय नहीं होगा, यद्यपि एक हजार मीटर की उँचाई के मध्य पड़ने वाली घाटियों(भले ही इनकी उँचाई 1000 मीटर से कम हो, परन्तु इनका चिन्हीकरण हो गया हो) में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य होगा ।

6–ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0 सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया

गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के पर्वतीय विकास भत्ता सीमान्त भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 11 फरवरी,2003 इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएगें ।

7—यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

8—अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः ३९ (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः ५०/xxvii(7)स्वै0परि0क0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 13फरवरी,2009

विषयः–स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों,जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से4 के मूल नियम–9(23)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क)जिन कर्मचारियों को 1 सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस राशि को दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय ।

(ख)दिनांक 31अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि को ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा ।

3–उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4601/16 –11 –79 –9 – 153–99 दिनांक 23 फरवरी,1980 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः ५० (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 43/xxvii(7)/2009
देहरादूनःदिनांकः 13 फरवरी,2009

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी विशेष भत्ते की सुविधा उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भी समान आधार पर उपलब्ध कराते हुए अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवा के अधिकारियों को क्रमशः रू0 600/–,800/–,900/व रू0 1000/–का मासिक विशेष भत्ता कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 268/xxvii(7)/2006 दिनांक 24 नवम्बर,2006 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये हैं। वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में सचिवालय विशेष भत्ते के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अतः श्री राज्यपाल राज्य सिविल सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के सचिवालय में अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव एवं अन्य समकक्षीय पदों पर तैनात अधिकारियों का विशेष भत्ता उन्हें अनुमन्य ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किये जाने की इस प्रतिबन्ध के के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वेतन बैण्ड में वेतन,विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी वेतन का योग किसी भी दशा में रू0 67000/–से अधिक नहीं होगा ।

3–उक्तानुसार दरों का पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल,2009 से लागू होगा।

4–उक्त के फलस्वरूवरूप इस संबंध में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 नवम्बर,2006 इस कार्यालय ज्ञाप के प्रभावी होने की दिनांक से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्याः 43 (1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 वित्त/613–20–2–2009–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्याः 61 /xxvii(7)म0कि0/2009

प्रेषक,

टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 16 फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन का शुद्धि पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्याः38xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 में दी गई तालिका को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् पढ़ा जायः–

क0स0	ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" देहरादून,पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय यथा हरिद्वार,उद्यम सिंहनगर (रूद्रपुर) अल्मोडा, पिथौरागढ़, टिहरी, गोपेश्वर (चमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा काशीपुर,हल्द्वानी तथा काठगोदाम, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, रूड़की मसूरी के नगर पालिका क्षेत्र(शहरी क्षेत्र)	"अवर्गीकृत श्रेणी" "श्रेणी बी–2"एवं श्रेणी"सी" के शहरों को छोड़कर अन्य अवर्गीकृत क्षेत्र।
1.	1300	975	650	520
2.	1400	1050	700	560
3.	1650	1238	825	660
4.	1800	1350	900	720
5.	1900	1425	950	760
6.	2000	1500	1000	800
7.	2400	1800	1200	960
8.	2800	2100	1400	1120
9.	4200	3150	2100	1680

10.	4600	3450	2300	1840
11.	4800	3600	2400	1920
12.	5400	4050	2700	2160
13.	6600	4950	3300	2640
14.	7600	5700	3800	3040
15.	8700	6525	4350	3480
16.	8900	6675	4450	3560
17.	10,000	7500	5000	4000
18.	12,000	9000	6000	4800

शासनादेश संख्या:38xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेगीं।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 61 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0सी0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 वित्त/614–20–2–2009–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्याः 79 / xxvii(7)म0कि0 / 2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 1 मार्च,2009

विषयः–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार/राज्य सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता ।

महोदय,

अखिल भारतीय सेवा(मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1977 के निम्न प्राविधान की ओर मुझे आप का ध्यानाकर्षण करने का निदेश हैः–

"राज्य सरकार में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उन्हीं शर्तों एवं दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है परन्तु अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता की धनराशि किसी भी समय किसी भी दशा में उन दरों से कम नहीं होगी जो कि उस स्टेशन पर तैनात भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य होगी।"

2–वेतन समिति,2008 की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या 38_xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 के द्वारा राज्य की सीमा के अन्तर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों, जनपदीय मुख्यालयों,अन्य समस्त क्षेत्रों आदि के लिए मकान किराये भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है । उक्त सेवा के अधिकारियों की राज्य के अन्तर्गत तैनाती पर उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 अथवा भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 29–8–2008 में उल्लिखित मकान किराये भत्ते की दरों में से जो भी दर अधिक हो वही अनुमन्य होगी ।

3–उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में षष्ठम् वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मकान किराये भत्ते संबंधी शासनादेश संख्या–2(13)2008–E-11(B)दिनांक29–8–2008 संलग्न है।

4–भारत सरकार के प्रस्तर–3 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29–8–2008 की व्यवस्था दिनांकः 1सितम्बर,2008 से तथा प्रस्तर–2 की व्यवस्था 1 अप्रैल,2009 से लागू होगी।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 79 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 2 (13)/ 2008-संस्था-II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता (एच आर ए) और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता (सी सी ए) प्रदान करने के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने इस मंत्रालय के का.ज्ञा. संख्या 2 (37)-संस्था-II(ख)/64, दिनांक 27.11.1965, समय-समय पर यथा संशोधित, का.ज्ञा. संख्या 2 (30) / 97 -संस्था-II(ख), दिनांक 03.10.1997 और का.ज्ञा. संख्या 2 (21)/संस्था.II(ख)/2004, दिनांक 18.11.2004 का आशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि इन भत्तों की स्वीकार्यता निम्न प्रकार होगी:-

(i) **नगर प्रतिपूर्ति भत्ता**

नगर प्रतिपूर्ति भत्ते (सी सी ए) को समाप्त कर दिया गया है।

(ii) **मकान किराया भत्ता**

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरों के पहले वर्गीकरण को संशोधित कर दिया गया है, अर्थात् ए-1 को "X"; ए, बी-1 और बी-2 को "Y" और सी तथा अवर्गीकृत को "Z"। संशोधित वर्गीकरण का निर्धारण करते समय, शहर की उप बस्तियों की आबादी को भी ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, मकान किराए भत्ते की दरें निम्न प्रकार होंगी :-

शहरों/नगरों का वर्गीकरण	(मूल वेतन + एन पी ए, जहां लागू हो) की प्रतिशतता के रूप में मकान किराए भत्ते की दर
X	30 प्रतिशत
Y	20 प्रतिशत
Z	10 प्रतिशत

3. संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से आशय निर्धारित वेतन बैंड में आहरित वेतन जमा लागू ग्रेड वेतन से है, लेकिन इसमें विशेष वेतन, आदि जैसे अन्य प्रकार के वेतन शामिल नहीं हैं। एच ए जी+ और अधिक वेतनमान वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन से तात्पर्य निर्धारित वेतनमान में वेतन से है।

4. जो कर्मचारी अपने पूर्व-संशोधित वेतनमान में बने रहना चाहेंगे, उनके वेतनमान में इन आदेशों के प्रयोजनार्थ गतिरोध वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) और प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित लागू पूर्व-संशोधित वेतनमान में मूल वेतन के अतिरिक्त 01.01.2006 को अनुप्रयोज्य आदेशों के अनुसार महंगाई वेतन भी शामिल होगा।

5. मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ "X", "Y" और "Z" के रूप में वर्गीकृत शहरों/नगरों की सूची इन आदेशों के अनुबंध के रूप में संलग्न है।

6. नगरपालिका क्षेत्र के भीतर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उच्चतर दरों पर एच आर ए/सी सी ए देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा पूर्व में निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं:

(i) का.ज्ञा. संख्या 2 (4) संस्था-II (ख)/65, दिनांक 05.11.74 (फरीदाबाद परिसर में दिल्ली की दरों पर एच आर ए/सी सी ए)
(ii) का.ज्ञा. संख्या 11023/9/संस्था-II (ख)/78, दिनांक 26.05.79 (गाजियाबाद नगरपालिका क्षेत्र में दिल्ली की दरों पर एच आर ए/सी सी ए)
(iii) का.ज्ञा. संख्या 21011/20/89-संस्था-II (ख)-खंड II/, दिनांक 30.01.90 (नोएडा में दिल्ली की दरों पर एच आर ए/सी सी ए)

(iv) का.ज्ञा. संख्या 11013/2/81-संस्था-II (ख), दिनांक 03.08.82 (नवी मुंबई में मुंबई की दरों पर एच आर ए)

(v) का.ज्ञा.संख्या 11013/1/87-संस्था-II (ख), दिनांक 12.10.87 (जालन्धर कैन्ट में जालन्धर की दरों पर एच आर ए/सी सी ए)

(vi) का. ज्ञा. संख्या 11023/1/86-संस्था -II (ख), दिनांक 09.12.86 (गुड़गांव में दिल्ली की दरों पर एच आर ए/सी सी ए)

(vii) का. ज्ञा. संख्या 11018/6/87-संस्था-II (ख), दिनांक 29.12.88 (जामनगर में "बी- 2" वर्ग की दरों पर सी सी ए)

(viii) का. ज्ञा. संख्या 11018/2/83-संस्था-II(ख), दिनांक 14.11.86 (माहे में वर्ग "सी" के आधार पर एच आर ए)

(ix) का. ज्ञा. संख्या 2 (13)-संस्था-II(ख)/74-खंड II, दिनांक 16.04.92 (गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव में वर्ग "सी" की दरों पर एच आर ए)

(x) का. ज्ञा. संख्या 2 (27)-संस्था-II (ख)/65, दिनांक 09.08.65 (कुन्नूर में वर्ग "सी" की दरों पर एच आर ए)

(xi) का. ज्ञा. संख्या 2 (54)-संस्था-II (ख)/73, दिनांक 29.08.79 और का. ज्ञा. संख्या 11016/2/81 संस्था-II (ख), दिनांक 30.04.81 (इन आदेशों में उल्लिखित शहरों में वहां की ऊंची कीमतों के आधार पर सी सी ए)

(xii) का. ज्ञा. संख्या 11014/1/ संस्था-II (ख)/84, दिनांक 05.02.90 (शिलांग में "ए", "बी-1" और "बी-2" वर्ग की दरों पर एच आर ए)

(xiii) का. ज्ञा. संख्या 11021/1/ 77 संस्था-II (ख), दिनांक 06.04.78 (हिल स्टेशनों में "सी" वर्ग की दरों पर एच आर ए)

(xiv) का. ज्ञा. संख्या 2 (10)/91-संस्था-II (ख), दिनांक 05.02.98 (जम्मू में "बी- 2" वर्ग की दरों पर एच आर ए)

(xv) का. ज्ञा. संख्या 2 (30)/97-संस्था-II (ख), दिनांक 18.05.98 (कोलकाता और चेन्नई का वर्गीकरण "ए-1" वर्ग के शहरों के रूप में)

(xvi) का. ज्ञा. संख्या 2 (3)/ संस्था-II (ख)/04, दिनांक 01.03.04 (गोवा और पोर्ट ब्लेअर में "बी-1" वर्ग की दरों पर एच आर ए तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के ग्रामीण इलाकों में "सी" वर्ग की दरों पर एच आर ए)

तथापि, 2001 की जनगणना के अनुसार बृहत्तर मुंबई की शहरी उपबस्तियों (यू.ए.) के भीतर नवी मुंबई को शामिल करने, (ii) मौजूदा "सी" वर्ग के शहरों/नगरों के साथ-साथ अवर्गीकृत स्थानों को नई श्रेणी 'Z' में रखने, (iii) सी.सी.ए. को समाप्त करने तथा (iv) जम्मू, कोलकाता और चेन्नई का शहरी उपबस्तियों के शामिल होने के कारण स्तरोन्नयन की वजह से केवल निम्नलिखित शहरों को ही विशेष व्यवस्था दी जाती रहेगी:-

(i) फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गाँव को 'X' वर्ग के शहरों की दरें ।

(ii) जालन्धर केन्ट, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेअर को 'Y' वर्ग के शहरों की दरें ।

7. मौजूदा आदेशों के तहत एच.आर.ए. देने की अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी ।

8. समूह 'ग', 'घ' और समूह 'ख' अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनका वेतनमान इस मंत्रालय के का.ज्ञा.संख्या 2 (64)/97 संस्था -II (ख) दिनांक 04.07.2001 के अनुसार गांधीनगर में तैनात समूह 'ग' कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर अथवा उनके वेतनमान से कम है, को दिनांक 01.08.97 के ग्राह्य मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की दर से विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता भी समाप्त माना जाएगा ।

9. **ये आदेश 1 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे ।**

10. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होंगे । ये आदेश रक्षा सेवा प्रावक्कलन से वेतन प्राप्त कर रहे सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे । सशस्त्र सेनाओं और रेलवे के कर्मचारियों के लिए आदेश क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे ।

11. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते है ।

मधुलिका प्रसाद

(मधुलिका पी. सुकुल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार ।
प्रतिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार ।

का.ज्ञा. संख्या 2 (13)/2008-संस्था- II (ख), दिनांक 29 अगस्त, 2008 के लिए

उन शहरों/नगरों की सूची जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है ।

क्रम संख्या	राज्य	'X' के रूप में वर्गीकृत शहर	'Y' के रूप में वर्गीकृत शहर
1	आन्ध्रप्रदेश	हैदराबाद (यू.ए)	विजयवाड़ा (यू.ए), वारंगल (यू.ए), विशाखापट्टनम (यू.ए), गुन्टूर
2	असम		गुवाहाटी (यू.ए)
3	बिहार		पटना (यू.ए)
4	चंडीगढ़		चंडीगढ़
5	छत्तीसगढ़		दुर्ग-भिलाई नगर (यू.ए), रायपुर (यू.ए)
6	दिल्ली	दिल्ली (यू.ए)	
7	गुजरात		अहमदाबाद (यू.ए), राजकोट (यू.ए), जामनगर (यू.ए), भावनगर (यू.ए), वडोदरा (यू.ए), सूरत (यू.ए)
8	हरियाणा		फरीदाबाद*
9	जम्मू और कश्मीर		श्रीनगर (यू.ए), जम्मू (यू.ए)
10	झारखण्ड		जमशेदपुर (यू.ए), धनबाद (यू.ए), रांची (यू.ए)
11	कर्नाटक	बंगलुरू (यू.ए.)	बेलगाँव (यू.ए), हुबली- धारवाड़, मंगलौर (यू.ए), मैसूर (यू.ए)
12	केरल		कोझिकोड (यू.ए), कोची (यू.ए), तिरुअनन्तपुरम (यू.ए)
13	मध्य प्रदेश		ग्वालियर (यू.ए), इन्दौर (यू.ए), भोपाल (यू.ए), जबलपुर (यू.ए)
14	महाराष्ट्र	बृहत्तर मुंबई (यू.ए)	अमरावती, नागपुर (यू.ए), औरंगाबाद (यू.ए), नासिक (यू.ए), भिवाडी (यू.ए), पूणे (यू.ए), सोलापुर, कोल्हापुर (यू.ए)
15	उड़ीसा		कटक (यू.ए), भुवनेश्वर (यू.ए)
16	पंजाब		अमृतसर (यू.ए), जालंधर (यू.ए), लुधियाना
17	पांडिचेरी		पांडिचेरी (यू.ए)
18	राजस्थान		बीकानेर, जयपुर, जोधपुर (यू.ए), कोटा (यू.ए)
19	तमिलनाडु	चेन्नई (यू.ए)	सेलम (यू.ए), तिरुप्पुर (यू.ए), कोयम्बटूर (यू.ए), तिरुनिरापल्ली (यू.ए), मदुरै (यू.ए)
20	उत्तराखण्ड		देहरादून (यू.ए)
21	उत्तर प्रदेश		मुरादाबाद, मेरठ (यू.ए), गाजियाबाद*, अलीगढ़, आगरा (यू.ए), बरेली (यू.ए), लखनऊ (यू.ए), कानपुर (यू.ए), इलाहाबाद (यू.ए), गोरखपुर, वाराणसी (यू.ए)
22	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यू.ए)	आसनसोल (यू.ए)

* इस क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण केवल मकान किराया भत्ता देने के प्रयोजनार्थ

टिप्पणी

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शेष शहर/नगर जो 'X' अथवा 'Y' के रूप में किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं वे मकान किराया भत्ता के प्रयोजन हेतु "Z" के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं ।

संख्याः 192 /xxvii(7)सं.शि.भ./2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव,
गृह,उत्तराखण्ड शासन।
2–सचिव,
कार्मिक,उत्तराखण्ड शासन
3–सचिव,वन,उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः०१जुलाई,2009

विषयः–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार के समान 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' लागू किया जाना।

महोदय,

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पूर्व से लागू संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क की अलग–अलग सुविधाओं को विलीन करते हुए 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' का कार्यान्वयन कार्मिक मंत्रालय के डी0ओ0पी0टी0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 12011/03/2008– Estt.(Allowance) दिनांक 2 सितम्बर,2008 द्वारा किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के डी0ओ0पी0टी0 के परिपत्र संख्या 20011/05/2008–AIS-II दिनांक 8–9–2008, के द्वारा सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्यालय सं0 12011/03/2008– Estt.(Allowance) दिनांक 2 सितम्बर,2008 द्वारा लागू 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी लागू होगी।

2– अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के भत्ते भारत सरकार के विभिन्न नियमों, शासनादेशों तथा परिपत्रों से विनियमित/शासित होते हैं। अतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार के समान 'संतान शिक्षा योजना' की सुविधा उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित डी0ओ0पी0टी0 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 1–9–2008 से लागू लागू होगी।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्याः 192 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के गृह,कार्मिक तथा वन अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0रिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—7
संख्या399/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक24 दिसम्बर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:—उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त होने के फलस्वरूप भारत सरकार की भाँति परिवहन भत्ता की अनुमन्य किये जाने विषयक।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) के छठवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में नगर प्रतिकर भत्ता समाप्त होने के फलस्वरूप भारत सरकार की भाँति परिवहन भत्ता निम्नलिखित दरों से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

ग्रेड वेतन रू0	परिवहन भत्ता प्रतिमाह (रू0 में)
5400 व अधिक	2000
4600 व 4800	1000
4200 व कम	400

यह भत्ता केवल उत्तराखण्ड राज्य के दिल्ली में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को ही अनुन्य होगा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया है उन्हें उक्तानुसार परिवहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त ।

संख्या399(1)/XXVII(7)/2009तद्दिनाँक
प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5 रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द पाण्डे)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(व0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:395 / xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांक:24 दिसम्बर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:–उत्तराखण्ड वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा0–4–229 / दस–2000–626–2000 दिनांक 10 मार्च,2000 द्वारा किया गया था । इस संबंध में वेतन समिति(2008) द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न लिखित स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित दर के अनुसार तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0सं0	वाहन नाम	वर्तमान दर (रू0 प्रतिमाह)	पुनरीक्षित दर (रू0 प्रतिमाह)
1.	2	3	4
2.	मोटरकार(जहॉ औसत स्थानीय यात्रा 400 किमी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	800	1000
3.	मोटर साईकिल / स्कूटर	350	450
4.	मोपेड	150	200
5.	साईकिल	50	75

1– उक्त भत्ते की अनुमन्यता उपरिउलिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10मार्च,2000 के अनुसार ही रहेंगी और कार्यालय ज्ञाप की दर केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

2– उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुसार ही रहेंगी।

3– उक्त भत्ते की दरों में संशोधन के फलस्वरूप उपरिउलिखित का0ज्ञा0 दिनांक 10 मार्च,2000 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त ।

संख्या3९(1)/XXVII(7)/2009तददिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5 रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या:394/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून:दिनॉक 24 दिसम्बर,2009

विषय:–राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों को तथा द्विभाषी आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:845/वि.अनु–3/2002–3003 दिनांक 11 मार्च,2003 के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) द्वारा पांचवे प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सचिवालय तथा अन्य राजकीय कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों तथा द्विभाषी आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों को निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन शासनादेश निर्गत करने की तिथि से अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क.सं.	कर्मचारी की श्रेणी	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
2	द्विभाषी निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक	रू0 150 प्रतिमाह	रू0 200 प्रतिमाह
3	द्विभाषी टंकक	रू0 50 प्रतिमाह	रू0 75 प्रतिमाह
4	कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले द्विभाषी पात्रताधारी	रू0 300 प्रतिमाह	रू0 400 प्रतिमाह

2– उपरिउलिखित कालम 4 के अनुसार संशोधित प्रोत्साहन भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो भारत सरकार के सस्थान Department of Electronics Accredited Computer Course द्वारा संचालित O- Level परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा जो कार्मिक उक्त स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे उनके लिये पूर्व भत्ते की दर के अनुसार ही पूर्व शर्तों के अधीन प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य होगा।

3– प्रोत्साहन भत्ते की अनुमन्यता की शर्तों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जुलाई,1986 का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

4– उक्त भत्ते के पुनरीक्षण के फलस्वरूप शासनादेश सं0 845/वि0अनु0–3/2002–2003,दिनांक 11 मार्च,2003 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाएगा और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे ।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

संख्या394(1)/XXVII(7)/2009 तद्दिनॉक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
10. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या:393/xxvii(7)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून:दिनॉक 21 दिसम्बर,2009

विषय:– कोषागार में कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को देय विशेष कम्प्यूटर भत्ते का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:1003/वि.अनु0–4/टी0सी0–03 दिनांक 24 अक्टूबर,2003 वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के द्वारा पांचवे प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कोषागार में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ते की रू0 400 प्रतिमाह की वर्तमान दर बढ़ाकर रू0 600 प्रतिमाह निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश निर्गत करने की तिथि से अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–उक्तानुसार संशोधित दर से प्रोत्साहन भत्ता कोषागार के केवल उन कार्मिकों पर लागू होगी, जो भारत सरकार के संस्थान Department of Electronics Accredited Computer Course द्वारा संचालित O-Level परीक्षा उर्त्तीण की हो तथा जो कार्मिक उक्त स्तर की परीक्षा उर्त्तीण नहीं होंगे उनके लिये उक्त भत्ते की दर पूर्ववत ही रू0 400 प्रतिमाह के अनुसार एवं पूर्व शर्तों के अधीन रहेगी।

2–प्रोत्साहन भत्ते की अनुमन्यता की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–उक्त भत्ते के प्रोत्साहन के फलस्वरूप तदविषयक पूर्व निर्गत शासनादेश सं0 1003/वि0अनु0–4/टी0सी0–03,दिनांक 24 अक्टूबर,2003 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाएगा ।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 393(1)/XXVII(7)/2009 तददिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
4. वित्त अनुभाग–6 ।
5. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या 515/XXVII(7)/2010

प्रेशक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांखण्ड शासन।

वित्त(वि0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक 8 अप्रैल, 2010

विषयः– सरकारी कर्मचारियों को लकड़ी का कोयला/पत्थर का कोयला(साफ्टकोक) की अनुमन्यता को समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 810/वि0अनु0–3 दिनांक 20 जनवरी, 2003 के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) द्वारा पांचवे प्रतिवेदन में संस्तुति की गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोयले के उपभोग में कमी लाने हेतु भारत सरकार द्वारा रसोई गैस को दूरस्थ स्थानों पर उपलब्ध कराने की नीति बनाई गई है इसी के साथ सम्प्रति विधुत संयत्र से कार्यालय गर्म करने की प्रकिया अपनाई जाती है, फलस्वरूप विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को लकड़ी/पत्थर का कोयला (साफ्टकोक) नहीं दिया जाना चाहिए।

2– अतः शासन द्वारा वेतन समिति की उक्त संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में सरकारी कर्मचारियों को पूर्व से अनुमन्य लकड़ी का कोयला/पत्थर का कोयला(साफ्टकोक) की अनुमन्यता को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 515 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांखण्ड।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 514/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 08 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता समाप्त किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 2857/XXVII(7)/2007, दिनांक 15 जनवरी, 2007 के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) द्वारा पांचवे प्रतिवेदन में संस्तुति की गई है कि यात्रा भत्ता की दरों के संशोधन के संबंध में पूर्व ही पर्याप्त उदार संस्तुतियां की जा चुकी है, फलस्वरूप महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु की जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता समाप्त किया जाए।

2– अतः शासन द्वारा वेतन समिति की उक्त संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबधित कार्य हेतु जाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य अतिरिक्त दैनिक भत्ता को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्याः 514/xxvii(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,औबेराय भवन, माजरा,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांखण्ड ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।